



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी - सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 64 / 2023

दर्ज तिथि :- 10.08.2023

अतरसिंह पुत्र किरोडी लाल जाति कोली निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली

- वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र भूदर } जाति बैरवा निवासी रसीदपुर
2. मामचन्द पुत्र भूदर } तहसील महवा जिला दौसा
3. भूपेन्द्र कुमार महावर पुत्र फूलचन्द जाति कोली निवासी पलानहेडा तहसील महवा
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं उप पंजीयक महवा जिला दौसा।
5. हेमराज नागर पुत्र सुरेशचंद नागर जाति खटीक तहसील महवा जिला दौसा।

- प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता :- श्री ओमप्रकाश कुण्डारा
प्रतिवादी अधिवक्ता :- श्री राजूलाल मुराडिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव अन्तिम रूप से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-


क्र.स.	नाम खातेदार	ख0न0	रकवा	किस्म	लगान
1	अतरसिंह पुत्र किरोडी लाल जाति कोली निवासी सूरौठ खातेदार	872	0.1425	बारानी-1	1.35
	योग	किता 01	0.1425	बारानी-1	1.35
2	भूपेन्द्र कुमार महावर पुत्र फूलचन्द महावर जाति कोली निवासी पलानहेडा खातेदार	872 / 1	0.3050	बारानी-1	2.90
	योग	किता 01	0.3050	बारानी-1	2.90

Mansingh
उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

हेमराज नागर पुत्र सुरेश नागर हि० सम्पूर्ण जाति खटीक निवासी महवा खातेदारी	872/2	0.1225	बाराणी-1	1.17
योग	किता 01	0.1225	बाराणी-1	1.17

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की गई।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



Murint
(मनीषा रेशम, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा
उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)